



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012021-224165
CG-DL-E-04012021-224165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4202]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942

No. 4202]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4791(अ).—यतः, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 298 (अ), दिनांक 14 जनवरी 2019 द्वारा निम्न तीन प्लाजाओं पर 0.000 कि.मी. (रारा-2 के 211.700 कि.मी.) से 5.410 कि.मी. (रारा-27 का नया संरेखण) इलाहाबाद-मंगावन खण्ड के उपयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया था, अर्थात्:-

- (i) इलाहाबाद जिले के मुंगारी गांव में रारा-76 ई (नया रारा-35) के इलाहाबाद-मिर्जापुर रोड के 417.250 कि.मी. पर ;
- (ii) इलाहाबाद जिले में गान्ने के निकट हारो गांव में रारा-30 (पुराना रारा-27) के इलाहाबाद-उ.प्र./मध्य प्रदेश सीमा रोड के 38.200 कि.मी पर;
- (iii) इलाहाबाद जिले में अमरेहा गांव में रारा-76 (नया रारा-35) के इलाहाबाद-बांदा रोड के 382.930 कि.मी पर ;

और यतः अब प्राधिकरण ने 382.930 कि.मी. पर अमरेहा शुल्क प्लाजा को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में उमापुर गांव में रारा-76 (नया रारा-35) के 377.550 कि.मी. प्लाजा पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम (दरों का अवधारण एवं संग्रहण), 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 298 (अ), दिनांक 14 जनवरी 2019 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

i तालिका 1 के बाद बिंदु-1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा -

1. नीचे उद्धृति एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित में से किसी भी शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क (प्लाजा) प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	खण्ड	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में गान्ने के निकट हारो गांव में रारा-27 के 38.200 कि.मी पर	0.000 कि.मी. से 5.410 कि.मी. (नैनी ब्रिज खण्ड)	3.900 कि.मी. (60 मीटर से अधिक लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
रारा-76 ई (नया रारा-35) पर इलाहाबाद जिले के मुंगारी गांव में 417.250 कि.मी. पर			
रारा-76 (नया रारा-35) पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के उमापुर गांव में 377.550 कि.मी. पर			

ii तालिका 1 के बाद बिंदु-2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :-

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में गान्ने के निकट हारो गांव में रारा-27 के 38.200 कि.मी पर	1.510*	15.100	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार

रारा-76 ई (नया रारा-35) पर इलाहाबाद जिले के मुंगारी गांव में 417.250 कि.मी. पर			दरों का 100%
रारा-76 (नया रारा-35) पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के उमापुर गांव में 377.550 कि.मी. पर			

*व्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं.	चेनेज	संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
1	-0.370	1.140	नैनी ब्रिज
			1.510

[फा. सं. 11015/भाराराप्रा/मऊ-जासरा/पकाइ/एएलडी/26257]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2020

S.O. 4791 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 298(E) dated 14th January 2019 authorised National Highway Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”) to collect, either through its officials or through a contractor for the use of Allahabad - Mangawan section from km 0.000 (km 211.700 of NH-2) to km 5.410 (new alignment of NH-27) at following three plazas, namely: -

- (i) Km. 417.250 at Mungari village, Allahabad District on NH-76E (New NH-35) Allahabad-Mirzapur Road;
- (ii) Km. 38.200 at Harro village Near Ganne in Allahabad District on NH-30 (Old NH-27) Allahabad-UP/MP Border Road;
- (iii) Km 382.930 at Amreha Village in Allahabad District on NH-76 (New NH-35) Allahabad-Banda Road.

And whereas the Authority has now decided to shift the Amreha fee plaza at km 382.930 to the plaza at km 377.550 of NH-76 (New NH-35) at Umapur village in Allahabad District of Uttar Pradesh.

In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. No. 298(E), dated 14th January 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:

- i. Point 1 after Table-1 shall stand revised as under:

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at either of the following Fee Plaza (s) for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

Location of Fee Plaza(chainage)	Section	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 38.200 of NH-27 at Harro village near Ganne , Allahabad district of Uttar Pradesh	Km 0.000 to km 5.410 (Naini Bridge Section)	3.900 km (Excluding length of structure > 60 m)	100 % of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 417.250 at Mungari village , Allahabad District on NH-76(E) (New NH-35)			

at km 377.550 at Umapur village, Allahabad District of Uttar Pradesh on NH-76 (New NH-35)			
---	--	--	--

ii. Point 2 after Table-1 shall stand revised as under:

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Location of Fee Plaza(chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 38.200 of NH-27 at Harro village near Ganne , Allahabad district of Uttar Pradesh	1.510*	15.100	100 % of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 417.250 at Mungari village , Allahabad District on NH-76(E) (New NH-35)			
at km 377.550 at Umapur village, Allahabad District of Uttar Pradesh on NH-76 (New NH-35)			

* The details are as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
1	-0.370	1.140	Naini Bridge	1.510

[F.No. 11015/NHAI/Mau-Jasra/PIU/Ald/26257.]

AMIT VARADAN, Joint Secretary